कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लोक निर्माण विभाग

पत्र सं0 1696/02 अधि-प्राप्ति–उ0/09 देहरादून, दिनॉक 25 सितम्बर, 2009

: परिपत्र :

प्रदेश में विभिन्न योजनाओं में हॉट मिक्स प्लॉट द्वारा बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 के काफी कार्य स्वीकृत हैं। इन कार्यों की लागत बहुत होती है, जिसमें राज्य एवं केन्द्र का भारी पूंजी निवेश होता है। अतः सभी अभियन्ताओं का यह पुनीत दायित्व है कि कराये गये कार्यों पर कड़ाई से गुणवत्ता नियंत्रण एवं मापी के सभी विशिष्टियों एवं मानकों का पालन किया जाये ताकि राज्य में सृजित परिसम्पत्तियाँ दीर्घ जीवी हों और उनका जल्दी ह्रास न हो। बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 की सुदृढ़ता मुख्यतः निम्न पॉच बातो पर निर्भर करती है :–

1. घनत्व
2. मोटाई
3. बिटुमिन प्रतिशत
4. मूल सतह की सफाई एवं उस पर लगाया गया टैक कोट
5. सरफेस ड्रैनेज

बिछाये गये बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 आदि का घनत्व हॉट मिक्स के अवयवों की दृढ़ता, आकार, ग्रेडेशन, महीन मिलावे की उचित मात्रा, मिक्स का तापमान तथा उचित तापक्रम पर बिछाई एवं रोलिंग पर निर्भर है। उपरोक्त बिन्दुओं के सम्पादन एवं नियंत्रण हेतु विस्तृत निर्देश इण्डियन रोड्स कॉग्रेस द्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय हेतु प्रकाशित "Specifications for Road and Bridge Works" में अंकित हैं जिनका गहन अध्ययन व पालन किया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य में सभी योजनाओं के अन्तर्गत किये जा रहे बिटुमिनस मैकाडम/डेन्स ग्रेडड बिटुमिनस मैकाडम/सेमी0 डेन्स बिटुमिनस कारपेट/ बिटुमिनस कारपेट के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जाते है :–

(i) डिजाइन्ड जॉबमिक्स फार्मूले में निर्दिष्ट 'डेन्सिटी' (घनत्व) स्थल पर प्राप्त हुई अथवा नहीं इसकी पुष्टि बिछाई गई बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 परत से कोर कटिंग मशीन द्वारा 'कोर' निकाल कर ही की जाय। इस हेतु 'सेन्ड रिप्लेसमेन्ट मैथड' (Sand Replace Method) मान्य नहीं होगा।

(ii) बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 की प्रत्येक परत हेतु न्यूनतम एक 'कोर' प्रति 250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अवश्य लिया जाये।

(iii) उपरोक्तानुसार प्राप्त कोर की चैनेज तथा सड़क के किनारे से दूरी एवं मोटाई माप पुस्तिका में अंकित की जाये जिसकी शत–प्रतिशत चैकिंग सहायक अभियन्ता द्वारा की जायेगी। न्यूनतम 10% (दस प्रतिशत) चैकिंग अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जाये।

(iv) बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य समाप्त होने के बाद 'रफोमीटर' की सहायता से मार्ग का 'रफनैस इण्डेक्स' अनिवार्य रूप से निकाला जायेगा।

(v) उपरोक्तानुसार प्राप्त कोर की मोटाई व घनत्व निकालने के बाद उसका बिटुमिन प्रतिशत भी निकाला जाये।

(vi) रफ़ोमीटर, आपरेटर व वाहन, पी0ओ0एल0 आदि से रफनैस इण्डैक्स निकालना तथा कोर कटिंग मशीन, ऑपरेटर, पी0ओ0एल0 व स्थल पर पहुँचाना एवं विभागीय कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में कोर लेने की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा प्रत्येक परत बिछाने के एक सप्ताह के अन्दर की जायेगी अन्यथा विभाग किसी बाह्य ऐजेन्सी से उक्त कार्य कराने हेतु स्वतंत्र होगा तथा इसका समस्त व्यय ठेकेदार के बिल से काट लिया जायेगा एवं इस प्रकार प्राप्त परिणामों पर ठेकेदारों का कोई वाद/विवाद मान्य नहीं होगा।

(vii) बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का भुगतान ठेकेदार को आयतन के आधार पर निम्नानुसार तीन प्रकार से की गई गणनाओं में आई न्यूनतम मात्रा का किया जायेगा।

(अ) आई0आर0सी0 द्वारा प्रकाशित "Specification for Road and Bridge Works" (चतुर्थ संशोधन) क्लॉज–113.30 के अनुसार ग्रिड पॉइन्ट्स पर बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 आदि की परत बिछाने से पूर्व तथा बिछाने के बाद लिये गये लेवल्स के अन्तर से निकाली गई औसत मोटाई तथा बिछाई गई परत की ऐज कटिंग के बाद निकाले गये क्षेत्रफल का गुणनफल।

(ब) उपरोक्त बिन्दु (iii) के अनुसार लिये गये सभी 'कोर' की मोटाइयों से निकाली गई औसत मोटाई तथा परत के क्षेत्रफल का गुणनफल।

(स) कार्य स्थल पर बिछाये गये हॉट मिक्स के कुल वजन को उपरोक्त बिन्दु (i) के अनुसार निकाली गई औसत डेन्सिटी से भाग देने पर प्राप्त आयतन।

काटे गये कोर के स्थान को ठेकेदार द्वारा उसी मिक्स से भर कर कूटा जायेगा जिस मिक्स की परत बिछाई गई है।

उपरोक्तानुसार शर्तों का प्राविधान बिड डाक्यूमेन्ट में कर दिया जाये।

(ललित मोहन)
मुख्य अभियन्ता, स्तर–1
लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्राविधिक परीक्षक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. महालेखाकार (वर्क्स), देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. परियोजना निदेशक, पी0एम0यू0, (ए0डी0बी0), देहरादून।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य अभियन्ता स्तर –1, की गार्ड की फाइल हेतु।
9. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त वरिष्ठ स्टाफ आफिसर/अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता,विभागाध्यक्ष कार्यालय।
11. प्राविधिक वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय।

मुख्य अभियन्ता, स्तर–1
लोक निर्माण विभाग।

I.T
upload करें।
1.10.18